क्रम-संख्या-385

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1694/79-वि-1–08-1(क)-18-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 24 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (3) में खण्ड (क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) में प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। तत्समय प्रवृत्त उक्त उपधारा के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होगा। राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि निगम की समस्त आस्तियाँ और दायित्व प्राधिकरण को अन्तरित कर दी जाँय। उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए एक विधेयक पहले से ही प्रक्रिया में है। यदि उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित कर दिया जाता है तो निगम एक ऐसी कम्पनी बन जाएगा जिसका मात्र आकार होगा। ऐसी स्थिति में, यदि निगम तथा प्राधिकरण के पृथक-पृथक अध्यक्ष हों तो एक विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि लोक हित में उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2008 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1694(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)18-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshettra Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 20 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on July 24, 2008.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 6 of 1976

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), in clause (a) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that the Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation shall be the *ex-officio* Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 4 of 2008

3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (3) of section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 provides for the constitution of the Authority. In accordance with the provisions of clause (a) of the said sub-section for the time being in force the Industrial Develoment Commissioner shall be the *ex-officio* Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority. It had been decided by the State Government that

the assets and liabilities of the Corporation should be transferred to the Authority. A Bill has already been in process to implement the said decision . If the said decision is implemented the Corporation would become a company having a shape only. In such a situation if there is separate Chairman of the Corporation and the Authority there would be an odd situation . In order to avoid such situation it was decided to amend, in the public interest, the said Act to provide that the Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation shall be the *ex-officio* Chairman of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid action the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 4 of 2008) was promulgated by the Governor on July 24, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 466 राजपत्र (हि0)–(1031)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 97 सा० विधायी–(1032)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।